लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 19/ 2022
GCMS NO. : 2022/81

प्रार्थी/अपीलार्थी :– अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

श्री धर्मवीर सिंह भूकर, मु.पो. देवरोड, वाया नरहड, तहसील सूरतगढ, पं.स. पिलानी, जिला झुन्झुनू (राज.)

बनाम

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 21–12–2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 18–10–2022 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 28–11–2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक 40(1) A.D.M./ RTI/ 1st Appeal/ 2021/ 148 दिनांक 30.11.2022 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 18–10–2022 को प्रस्तुत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 21.10.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बॉसवाडा से सम्बन्धित होने से प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत पत्रांक 122 दिनांक 27.10.2022 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बॉसवाडा को हस्तान्तरित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

(ब) तारीख जिस पर कि निर्णय ...

Scanned with Oken Scanner

अपीलांट की ओर से जरिये प्रार्थना पत्र आपत्ति दर्ज करते हुए उल्लेख किया गया कि मूल आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2022 के प्रसंग में एवं संलग्न पत्र से स्पष्ट है कि सूचना जिला कलक्टर से सम्बन्धित है।

प्रभारी अधिकारी संपर्क समाधान (अति.जिला कलक्टर) बॉसवाडा ने पत्रांक 2357 दिनांक 20.12.2022 में उल्लेख किया कि सूचना का रेकार्ड वर्ष 2005 का है। रेकार्ड बहुत पुराना होने से सुलभ नही हो पा रहा है रेकार्ड तलाशा जा रहा है।

दिनांक 21–12–2022 को प्रत्यर्थी एवं अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित है। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया सूचना जिला कलक्टर से सम्बन्धित है। समस्त भर्ती रेकार्ड जिला कलक्टर बॉसवाडा ने प्रमुख शासन सचिव के आदेश से कब्जे में लेकर सुरक्षित अभिरक्षा डबल लॉक में रखने जिला कलक्टर बॉसवाडा को निर्देशित किया था, जो जिला कलक्टर बॉसवाडा के पत्रांक 787 दिनांक 13.05.2005 से स्पष्ट है।

प्रत्यर्थी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भीत पत्र एफ ( ) सतर्कता/2005/ 787 दिनांक 13.05.2005 अनुसार रेकार्ड तलाशा जा रहा है। रेकार्ड सुलभ होने पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी।

हमने पत्रावली का एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा, प्रभारी अधिकारी संपर्क समाधान (अति.जिला कलक्टर) बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 18–10–2022 को प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी अनुसार सूचना उपलब्ध कराने रेकार्ड तलाशा जा रहा है। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा को आदेशित किया जाता है कि वांछित सूचना का रेकार्ड तलाश कर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार सूचना 21 दिवस में निःशूल्क उपलब्ध करवाई जावे। ।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner